माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ जोधपुर

नीलामी सूचना

क्रमांक एचसी/एसके/2019–20/534 दिनांक 16.11.2019

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **माननीय उच्च न्यायालय, शताब्दी सर्कल, जोधपुर** में लोअर ग्राउण्ड फलोर पर स्थित 14 केबिन **(8 केबिन फोटोकॉपीयर, 2 केबिन विधि पुस्तक /बैण्ड/गाउन/कोट विक्रेता, 2 केबिन स्टेशनरी विक्रेता, 1 केबिन ताजा फल, जुस विक्रेता, 1 केबिन क्नफेक्शनरी शॉप (चाय, कॉफी, बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक आदि पेक्ड फुड))** को तीन वर्ष के लिए **अनुज्ञप्ति** पर दिए जाने हेतु नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से बंद लिफाफे में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

लोअर ग्राउण्ड फलोर पर स्थित 14 केबिनों **(8 केबिन फोटोकॉपीयर, 2 केबिन विधि पुस्तक /बैण्ड/गाउन/कोट विक्रेता, 2 केबिन स्टेशनरी विक्रेता, 1 केबिन ताजा फल, जुस विक्रेता, 1 केबिन क्नफेक्शनरी शॉप (चाय, कॉफी, बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक आदि पेक्ड फुड))** की नीलामी दिनांक **26.11.2019 (मंगलवार)** को **प्रातः 11:00 बजे माननीय उच्च न्यायालय परिसर, शताब्दी सर्कल, जोधपुर** में की जायेगी। केबिनों का विस्तृत विवरण, उपयोग, नीलामी से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें आवेदन पत्र के साथ संलग्न है, जिन्हें इच्छुक व्यक्ति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के **'स्टोर अनुभाग'** से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 25.11.2019 तक प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक रूपए 500.00 का आवेदन पत्र शुल्क अदा करके प्राप्त किया जा सकता है तथा पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को दिनांक 25.11..2019 तक प्रातः 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक माननीय उच्च न्यायालय के पास 'स्टोर सेक्शन' में जमा करवाया जा सकता है।

नीलामी की नियम व शर्तें तथा आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइट www.hcraj.nic.in पर भी उपलब्ध है तथा डाउन लोड भी की जा सकती है, किन्तु डाउनलोड किए गए प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ **'रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर'** के नाम रूपए 500.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट (आवेदन पत्र शुल्क) के सम्बन्ध में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

केबिनों की नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के 'स्टोर सेक्शन' में किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 25.11.2019 तक प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है । रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी आवेदन पत्र को बिना कारण बताए अस्वीकार अथवा निरस्त कर सकता है।

दिनांक 16.11.2019

आज्ञा से,

16.11.19

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।

UBN is: **RHC1920SSOB00016**

आवेदनकर्ता का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ

आवेदन पत्र

मानानीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
केबिन को वार्षिक अनुज्ञप्ति पर लेने हेतु आवेदन पत्र

1. केबिन संख्या :

2. प्रार्थी का नाम :

3. पिता / पति का नाम :

4. उम्र :

5. पता :

6. राष्ट्रीयता :

7. यदि आवेदन पत्र बेव साइट से डाउन लोड किया गया है, तो डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम :

   डिमाण्ड ड्राफ्ट की रकम

   डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या

   डिमाण्ड ड्राफ्ट की तिथि

8. बोली की राशि (प्रतिमाह) : रूपये ..../– प्रतिमाह

दिनांक :   आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

सलंग्नक

नोट :

1. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आवेदन पत्र के साथ अपने आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस की एक छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

2. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, आवेदन पत्र के साथ अपना चरित्र प्रमाण पत्र किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति / राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षरशुदा जारी करवा कर संलग्न करना होगा।

ध.

नीलामी की शर्ते

1— केबिन जहॉ है एवं जैसा है, की स्थिति में दिनांक .... तक अनुज्ञप्ति पर देने हेतु नीलाम किये जायेंगे।

2— बोली लगाने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु अग्रिम जमानत राशि रूपये 10,000/— जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट ('रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर' के नाम जारी) द्वारा जमा करवाने होंगे, जो नीलामी उपरान्त नीलामी में असफल व्यक्ति को नियमानुसार वापिस कर दिये जायेंगे तथा नीलामी में सफल रहने पर अग्रिम जमानत राशि उसके धरोहर राशि में समायोजित कर ली जायेगी।

3— कोई भी अपराधिक इतिहास/अपराधिक प्रवृति रखने वाला व्यक्ति नीलामी में भाग नहीं ले सकता है। इस संबंध में आवेदन पत्र के साथ नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना चरित्र प्रमाण पत्र किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति / राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षरशुदा जारी करवाकर सलंग्न करना होगा तथा साथ ही पुलिस वेरिफीकेशन रिपोर्ट भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

4— नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आवेदन पत्र के साथ अपना पैन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस की एक स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति सलंग्न करनी होगी।

5— उपरोक्त केबिनों को नीलामी से पूर्व कार्यालय समय में नियमानुसार टोकन/पास/अनुमति प्राप्त कर माननीय उच्च न्यायालय में देखा जा सकता है तथा बोली लगाने वाले व्यक्ति का यह स्वयं उत्तरदायित्व होगा कि वह बोली लगाने से पूर्व उक्त केबिन का पूर्ण निरीक्षण कर ले।

6— अनुज्ञप्ति शुल्क के निर्धारण के लिए वर्ष अंग्रेजी कलेण्डर वर्ष माना जायेगा।

7— **निलामी में सफल व्यक्ति को एक वर्ष का अनुज्ञप्ति शुल्क (स्वयं के द्वारा लगाई गयी बोली की राशि) धरोहर राशि के रूप में जमा करवाना होगा।** उक्त राशि केबिन के पुनः उच्च न्यायालय प्रशासन को सुपुर्द करने पर बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।

8— प्रत्येक केबिन का **निर्धारित न्यूनतम मूल्य (मासिक अनुज्ञप्ति शुल्क) अनुलग्न 1 में केबिन की संख्या के सम्मुख अंकित किया गया है।** प्रत्येक केबिन को पृथक नम्बर दिया गया हैं तथा प्रत्येक केबिन के लिए पृथक—पृथक बोली लगाई जाएगी जो बन्द लिफाफे में पेश करनी होगी। केबिन का आवंटन अधिकतम बोली दाता को किया जायेगा। केबिन विशेष हेतु एकाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली राशि समान होने पर उन सभी व्यक्तियों के मध्य खुली निलामी के माध्यम से अधिकतम बोली लगाने वाले को केबिन आवंटन किया जायेगा।

9— केबिन आवंटन सर्वप्रथम तीन वर्ष के लिये किया जायेगा, जिसे संतोषप्रद सेवायें देने की स्थिति में 10 प्रतिशत अधिक राशि के साथ अधिकतम दो वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन का होगा।

10— धरोहर राशि आवंटित वर्ष की शेष अवधि के लिए आवंटन के 15 दिवस में जमा करवानी होगी। आगामी वर्ष की धरोहर राशि जनवरी माह की 15 तारीख तक सम्पूर्ण वर्ष का जमा करवाना होगा ।

11— क्रम संख्या 7 में वर्णित वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क के अलावा केबिन लेने वाले व्यक्ति को विद्युत, इन्टरनेट एवं फोन कनेक्शन स्वयं के खर्चे पर प्राप्त करना होगा।

12— निम्नलिखित राशि का भुगतान वास्तविक बिल के अनुरूप करना होगा :—
ए— बिजली का बिल ।
बी— फोन/इन्टरनेट बिल ।

13— जिस बोलीदाता की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी, उसे धरोहर राशि की 25 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी। यदि बोली लगाने वाला व्यक्ति 25 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा नहीं करवाता है तो बोली स्वतः निरस्त समझी जायेगी व अग्रिम जमानत राशि भी जब्त कर ली जायेगी। इस स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय अधिकतम बोलीकर्ता को संबंधित केबिन अनुज्ञप्ति पर देने हेतु आमंत्रित कर सकेगा और

उपरोक्त व्यक्ति द्वारा अपनी बोली के अनुसार सभी शर्तो की पालना करेगा।

14— शेष 75 प्रतिशत धनराशि सफल व्यक्ति को नीलामी की दिनांक से 15 कार्य दिवस के अंदर जमा करवानी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके अग्रिम जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी । तथा पहले से जमा 25 प्रतिशत राशि भी राजस्थान उच्च न्यायालय के विवेकानुसार जब्त की जा सकती है।

15— एक व्यक्ति एक से अधिक केबिन के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन उसे हर आवेदन पत्र के साथ रूपये 500/— का आवेदन शुल्क जमा कराना होगा । यदि उस व्यक्ति की बोली एकाधिक केबिन के लिये अधिकतम होती है, तो उसे किसी भी एक केबिन का चयन अंतिम आवंटन हेतु करना होगा। शेष केबिन का आवंटन द्वितीय अधिकतम बोलीदाता को किया जायेगा।

16— नीलामी की गई केबिन का कब्जा सफल व्यक्ति को तभी दिया जायेगा, जब उसके द्वारा समस्त शुल्कों (अग्रिम जमानत राशि, धरोहर राशि एवं आवेदन शुल्क) का पूरा भुगतान कर दिया जायेगा।

17— **बोली में सफल व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय के साथ विधि अनुसार अनुज्ञप्ति अनुबंध निष्पादित करना होगा।**

18— जिस उद्धेश्य हेतु केबिन की नीलामी की जायेगी, वह केबिन उसी उद्धेश्य हेतु प्रयोग में लिया जायेगा, अन्य किसी प्रकार से नहीं।

19— बोली में सफल व्यक्ति केबिन को स्वच्छ व साफ स्थिति में रखेगा।

20— बोली में सफल व्यक्ति केबिन में कूडादान रखेगा तथा कूडा—कचरा उसी कूडादान में एकत्रित करेगा व तत्पश्चात् राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित स्थान पर डालेगा।

21— बोली में सफल व्यक्ति केबिन की भौतिक स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई स्थायी परिवर्तन नहीं करेगा और न ही केबिन की भौतिक स्थिति को कोई नुकसान पहुचायेगा।

22— केबिन में रखे जाने वाले सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं आवंटनकर्ता की होगी तथा राजस्थान उच्च न्यायालय किसी भी दशा में चोरी, सेंध, आग या किसी अन्य घटना यदि कोई हो, के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

23— केबिन का संचालन सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक किया जा सकेगा। इसके पश्चात संचालन नहीं किया जायेगा, अन्यथा यह आवंटन निरस्तीकरण का आधार बन सकता है।

24— सफल आवंटी केबिन में बिजली कनेक्शन ले सकेगा। यदि कोई आवंटी किसी विशेष प्रकार के बिजली के उपकरण लगाना चाहता है तो वह राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन की पूर्वानुमति से स्वयं अपने खर्चे पर इस प्रकार का प्रबन्ध कर सकता है। समस्त विद्युत खर्च का भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा। इस स्थिति में केबिन को खाली करते समय उसे अपने द्वारा लगाये गये बिजली के उपकरण आदि को हटाना होगा या ऐसे उपकरण को हटाते समय भवन को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं कारित की जायेगी, यदि कोई क्षति हो जाती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति उस व्यक्ति को करनी होगी।

25— एक व्यक्ति को केवल एक ही केबिन अनुज्ञप्ति पर दिया जायेगा। किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक केबिन अनुज्ञप्ति पर नहीं दिया जायेगा।

26— जिस व्यक्ति को केबिन अनुज्ञप्ति पर दिया जायेगा, वह स्वयं उसका उपयोग करेगा तथा अन्य किसी व्यक्ति को वह केबिन संचालन हेतु नहीं देगा।

27— केबिन का विक्रय, हस्तांतरण, उपपट्टा (सबलेट), अन्यसंक्रमण नहीं किया जा सकता। ऐसा करने पर आंवटन निरस्त कर दिया जायेगा।

28— माननीय उच्च न्यायालय प्रशासन को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी कार्यदिवस में कार्यावधि के दौरान किसी भी केबिन का भौतिक निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

29— यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त निर्धारित शर्तो का अनुपालना नहीं किया जाता है तो उच्च न्यायालय प्रशासन को अनुज्ञप्ति अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।

30— राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे, अन्तिम बोली की स्वीकृति सक्षम

अधिकारी द्वारा स्वीकृति के अधीन होगी।

31— उपरोक्त नीलामी की शर्तो के विषय में दोनों पक्षों में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 अनुसार विवाद का निस्तारण किया जायेगा।

32— नीलामी के संबंध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा।

33— नीलामी के ठीक पूर्व राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा अन्य नियम व शर्तो की जानकारी दी जावेगी।

आज्ञा से

16.11.19

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

नीलामी सूचना

संख्या : 14 केबिन
विषय : त्रैवार्षिक अनुज्ञप्ति पर देने हेतु केबिनों की नीलामी
नीलामी की तिथि : ...., 2019
स्थान : राजस्थान उच्च न्यायालय, शताब्दी सर्कल के पास, झालामण्ड, जोधपुर

दुकानों का विवरण :

क्र. सं.	केबिन संख्या (जैसा कि प्रत्येक केबिन में अंकित है)	केबिन का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	केबिन का प्रकार (जिस हेतु अनुज्ञप्ति पर दिया जाना है)	न्यूनतम रिजर्व दर (मासिक)
1	5	64	फोटोकॉपीयर	900
2	10	67	फोटोकॉपीयर	940
3	15	63	फोटोकॉपीयर	880
4	17	64.10	स्टेशनरी (सभी प्रकार के फार्म सहित)	900
5	19	65.90	फोटोकॉपीयर	920
6	25	64.75	फोटोकॉपीयर	910
7	27	63.55	स्टेशनरी (सभी प्रकार के फार्म सहित)	890
8	29	64.10	फोटोकॉपीयर	900
9	35	64.75	फोटोकॉपीयर	910
10	39	64.75	फोटोकॉपीयर	910
11	42	131	केबिन विधि पुस्तक /बैण्ड/गाउन/कोट	1830
12	44	66.5	ताजा फल, जुस	930
13	45	134	केबिन विधि पुस्तक /बैण्ड/गाउन/कोट	1870
14	47	68	कनफेक्शनरी शॉप (चाय, कॉफी, पेक्ड फुड – बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि)	950